सं0सं0–16 / यू.1–03 / 2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में यूनानी प्रक्षेत्र के व्याख्याताओं की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन सं0 41/2017, 44/2017, 45/2017, 46/2017 एवं 03/2018 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के क्रमशः पत्रांक 288 दिनांक 27.12.2018, पत्रांक 289, दिनांक 27.12.2018, पत्रांक 290, दिनांक 27.12.2018 पत्रांक 291, दिनांक 27.12.2018 एवं पत्रांक 292, दिनांक 27.12.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 05 अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन मूल कोटि के व्याख्याता के पद पर वेतनमान 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 5400(वेतन स्तर–9) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–7 में अंकित पदस्थापन स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क्र० स०	नाम एवं पता	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	विभाग	कोटि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	मो० शमीम अख्तर, हयात हाउस, लोहरवा घाट लेन गुलजारबाग, आलमगंज, पटना–800007	10.12.1976	01	इलमुल अमराज विभाग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।
2.	मो० नजीबुर रहमान, ग्राम–धरमपुर, वार्ड नं0–2, पो०+था०–समस्तीपुर–848101	03.05.1978	01	मोआलेजात विभाग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।
3.	मो० रजी अहमद, ग्राम–सराय सतार खान, पो०+थाना–लहेरीयासराय, दरभंगा–846001	16.12.1982	02	अमराजे निश्वॉ–व–अतफाल विभाग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।
4.	मो० तनवीर आलम, ग्राम–सबीहा हाउस, सेक्टर–ए, न्यू अजिमाबाद कॉलोनी, वेस्ट शनिचरा ईदगाह, महेन्द्रु, पटना–800006	10.01.1983	01	तहफ्फूजी–व – समाजी तिब्ब विभाग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।
5.	मो० तनवीर आलम, वार्ड नं०–12, नेहरू मुहल्ला, सिमरी बख्तीयारपुर, सहरसा–852127	15.02.1975	01	कुल्लियात विभाग	अनारक्षित	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।

2. सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये नियमानुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

3. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

4. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालनार्थ प्रत्येक अभ्यर्थी को उन्हें अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान के समय मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को अपना योगदान देंगे तथा इसकी सूचना प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि इनमें से जिनके विरूद्ध चरित्र पूर्व चरित्र के संबंध में गृह (आरक्षी) विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो उनकी सेवा तात्कालीक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

8. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 16/यू.1–03/2015 276 (आ0चि0) पटना/दिनांक– 21.02.2019

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा योगदान/प्रभार ग्रहण करने के संबंध में उपरोक्त शर्त्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही सभी अभ्यर्थी अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

21.2.19
सरकार के उप सचिव

सत्यापित फोटोग्राफ

D:/Setu D.E.O/Irshad/Adhishuchna